कार्यालय जिलाधिकारी बुलन्दशहर।

पत्रांक: 3328 /न्याय सहायक/कोरोना वायरस/2020 दिनाँक: 18.07.2020

मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत कराते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड–19 के ग्रेट लेविल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि मा0 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग–3, लखनऊ के पत्र संख्या–1382/2020/सीएक्स–3 दिनांक 31.05.2020 के अनुसार जोन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:–

शहरी क्षेत्र:–

(1) जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहाँ पर 250 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो।

(2) एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 500 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेन्ट जोन होगा तथा उसके उपरान्त 250 मीटर में बफर जोन भी होगा।

(3) आवासीय बहुमंजिला सोसायटियों के सम्बन्ध में कन्टेनमेंट–जोन घोषित करने हेतु निम्नानुसार नीति अपनाई जाएगी–

(i) ऐसे बहुमंजिला भवनों/टॉवर वाली सोसायटी में यदि एक ही फ्लोर पर एक या अधिक सक्रिय केस हो तो ऐसे टॉवर/बहुमंजिला भवन को कन्टेनमेंट–जोन घोषित किया जाएगा।

(ii) यदि एक सोसायटी में एक से अधिक टॉवरों मे सक्रिय केस पाए जाते है तो ऐसी सोसायटी में सम्बन्धित टॉवरों तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थानों यथा पार्क, जिम, तरण–ताल, बैंक्वेट–हॉल आदि को भी कन्टेनमेंट जोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा जिससे कि संक्रमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए।

(4) वाणिज्यिक/औद्योगिक/कार्यालय भवनों के परिसर में कन्टेनमेंट–जोन के सम्बन्ध में

(i) ऐसे स्थानों पर जहाँ सक्रिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा। कोविड–19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने के संबन्ध में होने वाले व्यय को ऐसे भवनों के अध्यासियों द्वारा वहन किया जाएगा।

(ii) ऐसे भवनों/परिसरों को पूर्णरूप से सैनिटाइज/निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जाएगा।

(5) सक्रिय केस यदि बहुमंजिला टॉवर/भवन में पाया जाए

(i) यदि एकल–तल (Single-Floor) पर सक्रिय केस पाया जाए तो ऐसा तल सील कर दिया जाएगा।

(ii) यदि एक से अधिक तलों पर सक्रिय केस पाए जाए तो सम्पूर्ण भवन/टॉवर को सील कर दिया जाएगा। ऐसे तलों (Floors)/भवनों को पुनः प्रयोग करने के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या–4(ii) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्र:–

(1) जहाँ सिंगल केस है, वहाँ पर राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी ।

(2) यदि गांव में एक से अधिक केस (कलस्टर) है तो ऐसी स्थिति में उक्त राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी कन्टेनमेन्ट जोन होगा। इस गांव के इर्द–गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आएंगे।

प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक–एल.आई.यू./सी–34/2020 दिनांक 18.07.2020 में अवगत कराया गया है कि "विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तो के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है, परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेसिंग का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। "

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 106 हॉट स्पॉट चिन्हित कर सील किये गये है, जिनमें 20–मौ0 देवीपुरा–I, बुलन्दशहर, मौ0 राधानगर बुलन्दशहर, हीरापुर कालोनी, निकट ऋषि पैलेस बुलन्दशहर, आवास विकास द्वितीय बुलन्दशहर, यमुनापुरम फेज–2 बुलन्दशहर, बीसा कालोनी बुलन्दशहर, मौ0प्रेमनगर, बुलन्दशहर, मौ0तेलीबाडा अम्बर सिनेमा के पीछे, बुलन्दशहर, ईदगाह रोड बुलन्दशहर, मान सरोवर कालोनी बुलन्दशहर, मौ0आर0के0पुरम, बुलन्दशहर, मौ0मदरसा बुलन्दशहर, मौ0 साठा नगर पालिका क्षेत्र बुलन्दशहर, दुर्गापुरम नगर पालिका क्षेत्र बुलन्दशहर, जयगोपाल कम्पाउण्ड, मौ0कृष्णा नगर, नगर पालिका क्षेत्र,बुलन्दशहर, भूड शान्तीनगर नगर पालिका क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0पन्नीनगर, मौ0आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के सामने गौरीशंकर महाविद्यालय वाली गली बुलन्दशहर, मौ0हरि एन्कलेव, नगर पालिका क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0पन्नीनगर, नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर, श्रीवाटिका कालोनी, नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर, मौ0शिवपुरी स्टेट बैंक के सामने वाली गली, रेलवे रोड, नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर,

निकट मानसरोवर कालोनी, नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर बने है। इसके अतिरिक्त जनपद बुलन्दशहर मे 86 हॉटस्पाट–मौ0 पीरजादगान खुर्जा, मौ0 होली बहमनान खुर्जा, सराय शेख आलम, वार्ड नं0–14 खुर्जा, नगला सारंगपुर का माजरा, वि0ख0 पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम फरीदपुर, वि0ख0 व तहसील सिकन्दाबाद, ग्राम गेसूपुर वि0ख0 व तहसील सिकन्दाबाद, मौ0 चौधरियान स्याना, मौ0 मुफ्तीवाड़ा शिकारपुर, मौ0 चन्द्रलोक कालोनी (नवलपुरा) खुर्जा, मौ0 बुर्ज उस्मान खुर्जा, मौ0 अकबराबाद स्याना, मौहल्ला चौहट्टी स्याना, ग्राम मॉगलौर वि0ख0 लखावटी, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम गालिबपुर, विकास खण्ड दानपुर तहसील डिबाई, ग्राम नौगरोल वि0ख0 व तहसील सिकन्दाबाद, मौ0पुख्ता बाजार जहॉगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम बरारी वि0ख0अगौता व तहसील बुलन्दशहर, मौ0छपेटी वार्ड नं0 11 पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम कलौली, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, मौ0वैश्यान, ककोड़ तहसील सिकन्दाबाद, मौ गंज सादात शिकारपुर, मौ0 काजीवाड़ा शिकारपुर, कांशीराम आवासीय कालोनी कालिन्दी कुंज खुर्जा, न्यू शिवपुरी खुर्जा, मौ0 काजीखेल, नगर पंचायत पहासू तहसील शिकारपुर, मौ0शहीद स्मारक, ग्राम खरकाली, वि0ख0 बी0बी0नगर तहसील स्याना, मौ0दीनदयाल पार्क, वार्ड नं0–8 नगर पंचायत बी0बी0नगर तहसील स्याना, मौ0पुराना डाकखाना,स्याना, ग्राम चिंगरावली वि0ख0 व तहसील खुर्जा व ग्राम डरौरा विश्वनाथपुर वि0ख0 दानपुर तहसील डिबाई, मौ0 महादेव डिबाई, ब्रहम दरवाजा, मेन बाजार बी0बी0नगर तहसील स्याना, कुम्हारो का मौहल्ला, ग्राम बिगराऊ वि0ख0 व तहसील स्याना, ग्राम आंचरू खुर्द, वि0ख0 व तहसील शिकारपुर, मौ0खटिकाना ग्राम मुनि, वि0ख0 अर्निया तहसील खुर्जा, गली नं0–2 मुरारी नगर शिकारपुर रोड खुर्जा, ग्राम तेलिया नगला वि0ख0 व तहसील अनूपशहर, ग्राम जटपुरा मुकीमपुर वि0ख0 तहसील शिकारपुर, मौ0पठान टोला, तहसील शिकारपुर, ग्राम मीरपुर ख्वाजपुर वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, जाटव वाला मौहल्ला, ग्राम गजरौला वि0ख0 ऊँचागॉव तहसील स्याना, प्राईमरी स्कूल वाला मौहल्ला, ग्राम बनभौरा वि0ख0 ऊँचागॉव तहसील स्याना, मौ0नौगंज शिकारपुर तहसील शिकारपुर, ग्राम आजमपुर उर्फ तोरई, वि0ख0 व तहसील अनूपशहर, मौ0पवित्रपुरी अनूपशहर, मौ0 नेहरूगंज अनूपशहर, मौ0 पुरानी मण्डी अनूपशहर, मौ0 मीरा, अनूपशहर, मौ0सईदगढी नगर पंचायत औरंगाबाद तहसील सदर बुलन्दशहर, मौ0नयागॉव वि0ख0अगौता तहसील सदर बुलन्दशहर, ग्राम सनैता शफीपुर वि0ख0 व तहसील खुर्जा, ग्राम नैथला हसनपुर वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम हुर्थला वि0ख0 व तहसील शिकारपुर, ग्राम नेहरूपुर वि0ख0 व तहसील खुर्जा व मौ0 चौक दुर्गा प्रसाद डिबाई, ग्राम सुरजावली वि0ख0 अरनिया तहसील खुर्जा, कुम्हारो वाला मौहल्ला ग्राम चॉदपुर पूठी वि0ख0 व तहसील स्याना, मौ0सरायुतफल्ला नई बस्ती सुदामापुरी गुलावठी तहसील बुलन्दशहर, मौ0स्याना मिलन्दा नगर पंचायत औरंगाबाद, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम कुटी ततारपुर वि0ख0अगौता तहसील बुलन्दशहर, ग्राम जसर, वि0ख0 जहॉगीराबाद तहसील अनूपशहर, फायर स्टेशन वाली गली खुर्जा, ग्राम मुस्तफाबाद डढूआ, वि0ख0 व तहसील शिकारपुर, ग्राम कसेर कंला, वि0ख0 व तहसील डिबाई, ग्राम रिसालू, वि0ख0 पहासू तहसील शिकारपुर, मौ0कोट कंला(द्वितीय) नगर पालिका क्षेत्र शिकारपुर, ग्राम इमलिया, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर,ग्राम बेगमपुर उर्फ जयरामपुर वि0ख0 व तहसील अनूपशहर, ग्राम जटपुरा, वि0ख0 व तहसील अनूपशहर, महादेव मन्दिर वाला मौहल्ला, ग्राम नयागॉव माजरा सहानपुर वि0ख0 व तहसील स्याना, ग्राम तुहारली वि0ख0 अगौता तहसील बुलन्दशहर, ग्राम दौलतपुर खुर्द वि0ख0दानपुर तहसील डिबाई, ग्राम अगवाल वि0ख0 व तहसील डिबाई, मौ0मोरी गेट कस्बा अनूपशहर, प्रदीप तौमर वाली गली ग्राम पलीपुर वि0ख0बी0बी0नगर तहसील स्याना,ग्राम जटापुर वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम भौरा वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद,दलीपगढी ग्राम अल्लाबास बातरी वि0ख0बी0बी0 नगर तहसील स्याना, जाटव मौहल्ला ग्राम मनिया टीकरी वि0ख0जहॉगीराबाद तहसील स्याना, ग्राम सलैमपुर, वि0ख0 व तहसील शिकारपुर, ग्राम ककरई वि0ख0 जहॉगीराबाद तहसील अनूपशहर, बाबू कबाडी वाला मौहल्ला, ग्राम अमरगढ वि0ख0 ऊँचागॉव तहसील स्याना, वैशाली कालोनी नगर पालिका परिषद खुर्जा, ग्राम करौरा वि0ख0 अर्निया तहसील खुर्जा, नगरीय क्षेत्र औरंगाबाद बने है, जिनमे पाये गये पॉजिटिव व्यक्तियो की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

आज दिनांक 18.07.2020 तक जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या–1017 है, 851 व्यक्ति होम क्वारेनटाईन मे है। जनपद मे 25 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

महोदय यहॉ यह भी अवगत कराना है कि प्रवासी मजदूरों के कारण संक्रमण न फैले, इस हेतु आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष बाजार बन्द करने के निर्देश है। उपरोक्त स्थितियों में यदि वादकारियों के रूप से बाहर से आये प्रवासी मजदूरों में काफी लोग न्यायालय मे पहुॅचेगें, जिससे माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में सक्रमण होने की सम्भावना बढ़ सकती है।

आख्या महोदय की सेवा मे सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नकः यथोक्त

अपर जिलाधिकारी–प्रशासन,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी–प्रशासन,
बुलन्दशहर।

एल.आई.यू./पी-34/2020

स्थानीय अभिसूचना इकाई
बुलन्दशहर
दिनांक-जुलाई [illegible], 2020

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
जनपद बुलन्दशहर ।

कृपया अवगत कराना है कि विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य सूबों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग किसी किसी संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा वाहनों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा नियमों का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।

अतः उक्त के दृष्टिगत लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने व अनावश्यक दुकानों पर भीड़ एकत्रित न करने हेतु समझाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध सहित आवश्यक कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

प्रभारी निरीक्षक
स्थानीय अभिसूचना इकाई
बुलन्दशहर